अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुन, 2020

37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुर, साम्बा के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में निम्नलिखित संसद सदस्यगण (व्यक्तियों) को एतद्वारा नामित करती है:

का.आ. 2092(अ).—केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का

- 1. श्री जमयंग त्सेरिंग नांग्याल, संसद सदस्य लोक सभा

2. श्री जुगल किशोर शर्मा, संसद सदस्य – लोक सभा

सदस्यगण का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों

द्वारा शासित होगा।

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

[फा. सं. जेड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई-IV)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 2092(E).—In exercise of the power conferred by Section 4 (g) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following Members of Parliament as members of the Institute Body of the All India Institute of Medical Sciences, **Vijaypur, Samba**:

- 1. Shri Jamyang Tsering Namgyal, Member of Parliament, Lok Sabha
- 2. Shri Jugal Kishore Sharma, Member of Parliament, Lok Sabha

The term of office of the members shall be governed by the provisions contained in the Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act,1956.

[F. No. Z-28016/178/2019-PMSSY-IV] SUNIL SHARMA, Jt. Secy.